परिशिष्ट अं

म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/295 /MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2016 भोपाल, दिनांक 11/01/ 2016

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य. कार्यपालन अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी नरेगा
जिला पंचायत -- समस्त (म.प्र.)

विषय: महात्मा गांधी नरेगा, महिला एवं बाल विकास तथा पंच परमेश्वर/चौदहवें वित्त की राशि से आंगनवाडी भवन निर्माण कराये जाने बावत् -- वित्तीय व्यवस्था में आंशिक संशोधन।

संदर्भ: विभाग का पत्र क्र. 662/ MGNREGS-MP/ NR-3/SE-I/14 दिनांक 21.01.2014।

विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में आंगनवाडी भवन निर्माण हेतु दोनों विभागों के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्देश जारी किये गये है। संदर्भित पत्र में जारी निर्देशों की वित्तीय व्यवस्था संबंधी पूर्व कंडिका 3 एवं 4 को विलोपित करते हुये कंडिका 3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है :-

3.1 आंगनवाडी भवन निर्माण की संलग्न ड्राइंग अनुसार ईकाई लागत पूर्ववत राशि रू 7.80 लाख रहेगी। ईकाई लागत में आंगनवाडी भवन कुर्सी क्षेत्रफल 58.09 वर्गमीटर (625 वर्गफुट), ओटला निर्माण 6.69 वर्गमीटर (72 वर्गफुट) एवं बाउन्ड्रीवाल निर्माण 54.87 मीटर (लंबाई 180 फीट) का कार्य शामिल है।

3.2 पूर्व में स्वीकृत आंगनवाडी भवनों का निर्माण तत्समय उपलब्ध अभिसरण की राशि के अनुरूप ही उन्हें पूर्ण कराया जा सकेगा।

3.3 नवीन आंगनवाडी भवनों के निर्माण हेतु ईकाई लागत रू 7.80 लाख में महात्मा गांधी नरेगा से राशि रू 1.80 लाख की सीमा तक, महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत आईसीडीएस से राशि रू 2 लाख तथा पंच परमेश्वर (14वाँ वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, स्टाम्प ड्यूटी) से शेष राशि 4 लाख रू स्वीकृत की जा सकेगी।

3.4 स्व-सहायता समूह की महिलाओं के लिये कार्य करने के लिये 3 मीटर X 4.5 मीटर का वर्कशेड निर्माण कार्य NRLM से राशि की उपलब्धता होने पर पृथक से स्वीकृत किया जा सकेगा।

3.5 महात्मा गांधी नरेगा मद से उपयोग की जाने वाली राशि हेतु पूरे वित्तीय वर्ष में मजदूरी सामग्री अनुपात 60 : 40 संधारित किया जाना अनिवार्य होगा।

शेष शर्तें संदर्भित पत्र अनुसार यथावत रहेगी। उक्त निर्देशों का पालन करते हुये आंगनवाडी भवन निर्माण कार्य प्राथमिकता से कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(जे.एन. कंसोटिया)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग

(अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग